FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• अपराधी पुत्री गोडू जाति तेली निवासी ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

• राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब अराई जिला अजमेर राज0

—अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 131,136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 55/ 2025

ऑनलाइन नंबर 2025 / 140

वकील प्रार्थी:— योगेश शर्मा **वकील अप्रार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.9.25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.25 को पेश हो। Wb उपखण्ड अधिकारी अराई	
17.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी का तामीलशुदा सम्मन प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार पाबंद होकर दिनांक 14.11.25 को पेश हो।	मौका रिपोर्ट प्राप्त
14.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पेशकार [illegible] मौका रिपोर्ट प्राप्त बहस हेतु पत्रावली दिनांक 19.11.25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अराई	
19.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26.11.25 को पेश हो Wb उपखण्ड अधिकारी अराई	

26/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीपक्ष उपस्थित।
फाइनल पर्चा ~~कक~~ अवलोकन किया गया।
आदेश सुनाई गई। वादी का वाद स्वीकार
किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
[illegible signature]

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 55/2025

1. अपराधी पुत्री मोडू।
2. आमीन मोहम्मद पुत्र सुबान।
3. गन्नी मोहम्मद पुत्र सुबान तेली।
4. जन्नत पुत्री मोडू।
5. यासीन मोहम्मद पुत्र मोडू।
6. शहनाज पुत्री मोडू।
7. सुबरात पुत्र मोडू।
8. अमीर पुत्र चादेंखाँ।
9. जुमा पुत्री उदु।

सर्वजाति तेली, सर्वनिवासीगण ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर (राज.)।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राज०

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 26.11.2025

वकील प्रार्थी – योगेश शर्मा

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कि खातेदारी भूमि वाकै ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक भू–अभि.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान के खाता संख्या नया/पुराना 525/285 के खसरा संख्या 1374/1090 रकबा 1.2216 एवं खसरा संख्या 1376/1090 रकबा 0.0081 किस्म बंजर 1 स्थित है। एवं खाता संख्या नया / पुराना 524/285 के खसरा संख्या 1375/1090 रकबा 0.0162 किस्म बंजर 1 स्थित है।दिनांक 25.08.2021 को. उपरोक्त खसरा का विभाजन आपसी सहमति से हुआ था उस समय वर्तमान खसरा संख्या के पूर्व विभाजन के समय खसरा संख्या 1090 थे एवं खसरा संख्या 1376/1090 के पूर्व विभाजन के समय खसरा संख्या 1090/2 थे उस समय राजस्व नक्शे में उक्त खसरे की दूरी वर्तमान खसरा संख्या 1375/1090 (पूर्व खसरा संख्या 1090/1) से उचित दूरी पर तत्कालिक नक्शे के अनुसार सही था। उपरोक्त नजरी नक्शे में खसरा संख्या 1376/1090 एवं 1375/1090 का स्थान राजस्व नक्शे में सहवन से त्रुटि पूर्वक गलत जगह अंकन कर दिया गया जिसको बँटवारा नक्शे के अनुसार सही करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.08.2025 को उक्त आपसी सहमति बँटवारा दिनांक 25.08.2021 की प्रमाणित प्रति ली गई तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई की उक्त खसरा संख्या 1376/1090 एवं 1375/1090 की राजस्व नक्शे मे तरमीम गलत कर दि गई थी तथा उस समय उक्त दोनो खसरे कमश 1375/1090 एवं 1376/1090 की किस्म बंजर 1 (गै. मु.चाह) थी, जिसे भी सहवन से त्रुटि पूर्वक बंजर 1 वर्तमान जमाबंदी में कर दिया गया है। जब की आपसी सहमति बंटवारे के समय उक्त दोनो खसरे की किस्म बंजर 1 (गै.मु.चाह) थी। जब की वर्तमान जमाबंदी में उक्त दोनो खसरे कमश 1375/1090 एवं 1376/1090 की किस्म बंजर 1 ही कर रखी है जो कि गलत होने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। तब से उक्त वादकारण निरन्तर सतत् रूप से जारी है। अप्रार्थी भूधारक / भू–स्वामी होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसके कारण उक्त खसरा नम्बरान कि किस्म एवं राजस्व नक्शे कि तरमीम में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जा

चके।उपरोक्त भूमि राजस्व ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई में स्थित होने से श्रीमान् को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढसूक पटवार हल्का ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान के वर्तमान खसरा संख्या 1375/1090 व 1376/1090 कि आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 25.08.2021 के अनुसार किस्म शुद्धी की जाकर राजस्व नक्शे में उक्त बंटवारे के अनुसार उक्त नक्शा तरमीम सही की जावे। अन्य दादरसी न्यायालय दिलवाना उचित समझे दिलावे।

पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार विन्दु सं. 1 प्रार्थीगण की भूमि वाके ग्राम ढसूक प.ह.ढसूक के ख.न. 1374/1090 रकबा 1.2216 हैक्टेयर किस्म प. बारानी–0.7038, बंजर 1–0.4045, बंजर 2–0. 0567. बा.डोल–0.0566 हैक्टेयर ख.न. 1376/1090 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म बजर 1. ख.न. 1375/1090 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म बंजर स्थित है। जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण की आपसी सहमति से प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 73 दिनांक 07/09/2021 की पालना में भूमि विभाजन का नामा.सं. 1898 स्वीकृत दिनांक 16/12/2024 अमल दरामद किया गया । विभाजन प्रस्ताव में खसरान को नजरी तौर पर प्रदर्शित किया गया है । विभाजन प्रस्ताव, विभाजन आदेश व नामा.सं. 1898 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। तत्कालीन चाह के रूप में उपयोग में आ रही भूमि की समस्त खातेदारान के पक्ष में तरमीम करवाने के उद्देश्य से तत्समय सभी खातेदारान ने सहमति से विभाजन प्रस्ताव पेश कर बंटवारा करवाया गया। उक्त भूमि को सहमति विभाजन प्रस्ताव में नजरी तौर पर 1090/1 (वर्तमान ख.न. 1375/1090) व 1090/2 (वर्तमान ख.न. 1376/1090) से प्रदर्शित किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में मौका अनुसार चाह के रूप में उपयोग आ रही भूमि की तरमीम ख.न. 1375/1090 मौका व नक्शा तथा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार प्रदर्शित के आधार पर सही है। जबकि ख.न. 1376/1090 की राजस्व नक्शे में तरमीम मौका अनुसार चाह के रूप में उपयोग की जा रहीं भूमि से भिन्न स्थान पर अंकित है। अतः संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ख.न. 1376/1090 की तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है। प्रार्थी खातेदारान द्वारा मौका स्थिति पर चाह के रूप में उपयोग की जा रही भूमि का सहमति विभाजन तहसीलदार अरॉई के समक्ष पेश संलग्न विभाजन प्रस्ताव अनुसार करवाया गया जिसमें चाह के रूप में उपयोग की जा रही भूमि को प्रस्तावित ख.न. 1090/1 (वर्तमान ख.न. 1375/1090) रकवा 0.0162 हैक्ट. किस्म बंजर 1 (गै.मु.चाह) तथा ख.न. 1090/2 (वर्तमान ख.न, 1376/1090) रकबा 0.0081 हैक्ट. किस्म बंजर 1 (गै. मु.चाह) प्रदर्शित किया गया है, एवं जिसका अंकन तहसीलदार अरॉई के आदेश क्रमांक 73 दिनांक 07/09/2021 में भी किया गया है। परन्तु वरवक्त अमलदरामदगी नामा.सं. खसरों की किस्म बंजर दर्ज हो गयी। अतः संलग्न सहमति विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन आदेश अनुसार उपरोक्त खसरान में किस्म बंजर 1 के स्थान पर गै.मु.चाह की शुद्धि किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं ग्राम ग्राम ढसूक, पटवार हल्का ढसूक भू–अभि.नि.क्षेत्र ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान के खाता संख्या नया/पुराना 525/285 के खसरा संख्या 1375/1090 एवं खसरा संख्या 1376/1090 में किस्म बंजर 1 के स्थान पर गे0मु0चाह का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में किस्म शुद्धि एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में अमल दुरूस्ती की जायेगी। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)